नवीन आँगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र आंवटित किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र

1. प्रस्तावित संस्था का नाम व पता ....

....

....

2. जिला जिसमें संस्था द्वारा ऑगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र हेतु आवेदन किया गया है.....................
टेलीफोन नं. ....   फैक्स नं. ....

ई–मेल पता ....

पोस्टल आर्डर / डी.डी. संख्या ....

....

3. संस्था का पंजीकरण क्रमांक संख्या व दिनांक ....
स्थान...

....

जिला..

NGO-PS पोर्टल पर पंजीकरण संख्या ....

....

4. संस्था द्वारा वर्तमान में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण (संलग्न) (यदि कोई संचालित हो)..........

....

....

....

....

5. प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों का विवरण (संलग्न) (यदि कोई संचालित हो)...............................

....

....

....

....

6. संस्था के प्रकाशन (यदि कोई हो)...

....

....

....

7. संस्था में प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध भवन (स्वयं/किराये का)..

....

(अ) प्रशासनिक भवन

निर्मित कक्षों का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)..

....

(नक्शे की प्रति संलग्न करे)

क.सं		**संख्या**	**आकार वर्गफुट में प्रति कक्ष**
1.	कक्षा–कक्ष		
2.	हॉल/डोरमेट्री		
3.	प्रयोगशाला		
4.	प्राचार्य कक्ष		
5.	स्टॉफ कक्ष		
6.	कार्यालय कक्ष		
7.	मनोंरजन कक्ष		
8.	स्टोर कक्ष		
9.	फर्नीचर (कुर्सी, टेबिल)		
10.	टेबिलों की संख्या		
11.	कुर्सियों की संख्या		
12.	उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन		

(ब) हॉस्टल सुविधा

(नक्शे की प्रति संलग्न करे)

क.सं		संख्या	आकार वर्गफुट में प्रतिकक्ष
1.	कमरों की संख्या मय क्षेत्रफल (वर्गफुट में)		
2.	डोरमेट्रीयों की संख्या मय क्षेत्रफल (वर्गफुट में)		
3.	अलमारियों की संख्या प्रति कक्ष		
4.	स्नानघर		
5.	शौचालय		
6.	टेबल/कुर्सी की संख्या		

(स) अन्य सुविधाएं

क.सं		संख्या	आकार वर्गफुट/प्रति कक्ष
1.	रसोई घर		
2.	डाइनिंग हॉल		
3.	पुस्तकालय कक्ष		
4.	शौचालयों की संख्या		
5.	स्नानघर की संख्या		
6.	पलंगों की संख्या		
7.	गद्दो की संख्या		
8.	जलापूर्ति (पीने के पानी की व्यवस्था आदि)	हाँ/नहीं	
9.	विद्युत आपुर्ति व्यवस्था	हाँ/नहीं	

8. प्रशिक्षकों का विवरण (भारत सरकार पत्र क्रमांक NO-11-13/2006-TT द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार) (कम से कम 3 प्रशिक्षक होना अनिवार्य)

1. नाम	2. शैक्षिणिक योग्यता	3. विशेषज्ञता का विषय

9. संदर्भ व्यक्ति (विशेषज्ञ) प्रति विषय एक

1. पोषण (1)	4. स्वास्थ्य (1)	7. शाला पूर्व शिक्षा(1)
2. समाज शास्त्र (1)	5. बाल मनोविज्ञान(1)	8. बाल विकास (1)
3. समेकित बाल विकास सेवाएं (1)	6. सूचना प्रौधोगिकी (1)	9. प्रबन्धन (1)

10.जिले का नाम जहॉ संस्था कार्य करने हेतु सहमत है..

स्थान का नाम मय पूर्ण पता..

....

....

11. शिक्षा/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुभव (वर्षो में स्पष्ट लिखें)

12. समेकित बाल विकास कार्यक्रम सें सम्बन्धित अनुभव, यदि हो तो अनुभव का विवरण

13. महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में यदि भाग लिया हो तो अनुभव का विवरण

14. महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्य कार्यक्रमों के संचालन में अथवा उनके क्रियान्वयन सें कोई संबंध रहा हो तो अनुभव का विवरण

15. विशेष विवरण/–

16. हम यह स्वीकार करते है कि हमने समस्त आवश्यक शर्तो को पढ़कर हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिया है। हम यह स्वीकार करते है कि जब कभी इस प्रशिक्षण केन्द्र की महिला एवं बाल विकास विभाग को आवश्यकता नही होगी या विभाग केन्द्र द्वारा चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवता से संतुष्ट नही होगा अथवा अन्य किसी कारण से इस केन्द्र को चलाना विभाग की राय में उचित संभव नही होगा, तो विभाग हमारी संस्था से प्रशिक्षण केन्द्र की सुविधाएं बिना किसी कारण बताये वापस लिये जाने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत होगा। प्रशिक्षण केन्द्र बंद किये जाने की स्थिति में संस्था प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार/यूनिसेफ अथवा ऐसी किसी भी अन्य संस्था से प्रदत्त की गई अथवा अनुदान राशि से क्रय की गई अथवा बनाई गई स्थाई सामग्री आवश्यक रूप से विभाग को लौटा दी जाएगी।

भवदीय

नामः

पदनामः

मोहर संस्थाः

दिनांकः

आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

1. NGO-PS पोर्टल पंजीकरण की प्रति
2. संस्था प्रभारियों की सूची E-mail, Phone Number, PAN, आधार सूचना सहित
3. संस्था के संविधान की प्रति
4. तीन साल के आडिटेड लेखे
5. संस्था के पदाधिकारियों की सूची
6. संस्था द्वारा संचालित कार्यक्रमों की रिपोर्ट
7. अन्य अभिलेख, जो संस्था अपने द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के संदर्भ में देना चाहे।
8. भवन का ब्लू प्रिन्ट
9. अन्य दस्तावेज

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए आवश्यक शर्ते निम्नानुसार हैंः–

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र चयन समीति द्वारा वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। चयन का आधार भारत सरकार के नवीनतम दिशानिर्देशानुसार संस्था की वित्तीय स्थिति, आधारभूत अवसंरचना, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, संस्था के प्रशिक्षण अनुभव आदि होगा।

(अ)

1. आवेदन संस्था सोसाईटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882/राज्य अधिनियम के तहत पंजीबद्ध हो और महिलाओं एंव बालकों के विकास को उन्नत किये जाने की गतिविधियों/कार्यो में संलग्न हो।
2. आवेदन संस्था के मेमोरेण्डम ऑफ ऐसोसियेशन/ट्रस्ट डीड में उसके उद्देश्य, विजन व मिशन में सामाजिक क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने का उद्देश्य समाहित हो।
3. संस्था का नीति आयोग के NGO-PS (NGO पार्टनरशिप) पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो व संस्था के पास पोर्टल द्वारा प्रदत्त यूनीक आई डी हो। संस्था का आयकर विभाग द्वारा प्रदत्त परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर (PAN) भी आवश्यक रूप से होना चाहिए।
4. संस्था के प्रत्येक कार्यालय पदाधिकारी/निदेशक मण्डल/प्रमोटर्स के पैन नम्बर, आधार नम्बर, ईमेल आईडी, मोबाइल नम्बर पोर्टल पर अनिवार्यत दर्ज हो।
5. संस्थान की वित्तिय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। विगत 3 वर्षो में लगातार घाटा रहित बजट हो तथा संस्था द्वारा गत 3 वर्षो की ITR, 3 वर्षो की लेखा परीक्षण रिपोर्ट व प्रत्येक वर्ष संचालन मण्डल /प्रबंध मण्डल की बैठक आयोजन का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करना होगा।
6. संस्था के पास प्रशासनिक भवन एवं छात्रावास सुविधा के लिए स्वयं का भवन होना चाहिए, जिसमे कम से कम 50 प्रशिक्षणार्थियों के लिए अध्ययन कक्ष, छात्रावास भवन, शौचालय व स्नानागार की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
7. संस्था का प्रशिक्षण हेतु स्वयं का भवन होने की स्थिति में 'फ्री होल्ड' अधिकार के रूप में विवाद रहित स्वामित्व होना चाहिए। यदि प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित भवन किराये की इमारत है तो ऐसी स्थिति में किराया एग्रीमेन्ट कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए हो तथा पंजीकृत पट्टा/लीज होना चाहिये। चयन की स्थिति में संस्था को राज्य सरकार के साथ न्यूनतम 3 वर्ष के लिए एग्रीमेन्ट करना होगा।
8. संस्था के पास न्यूनतम 2 बडे एवं हवादार कक्षा कक्ष होने चाहिए जहॉ 40–50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकें। उक्त कक्षों की अनुमानित साईज 450–500 वर्गफुट होनी चाहिए और कक्ष में वहाईट बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड व एलसीडी प्रोजेक्टर लगा होना चाहिए। कक्षा कक्ष के लगते हुए न्यूनतम 2 शौचालय और स्वच्छ पेयजल सुविधा का प्रावधान होना चाहिए। इस के अतिरिक्त एक हॉल (लगभग 20x20 वर्गफुट) होना चाहिए जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा रोलप्ले, प्रदर्शन, मोकसेशन दिया जा सके और प्रशिक्षणार्थियों द्वारा सहायक सामग्री तैयार कर लगायी जा सके।
9. एक गैर शासकीय संस्था द्वारा किसी एक ही जिले में प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने के लिए ही आवेदन किया जा सकेगा।
10. सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान, जो केवल महिलाओं के लिए ही हो तथा जिनके परिसर में आवासीय छात्रावास हो, को प्राथमिकता दी जाएगी।
11. संस्थान का भारत/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या के अनुसार ही प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं होगा।

ब. प्रशिक्षण अवसंरचनाः—50 प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु छात्रावास

1. संस्था के परिसर में ही छात्रावास उपलब्ध होने पर प्राथमिकता दी जावेगी। परिसर के बाहर छात्रावास समुचित दूरी पर होना चाहिए ताकि प्रशिक्षणार्थी सुविधा से आवागमन कर सकें। छात्रावास परिसर में महिला वार्डन सहित समस्त अंदरूनी स्टॉफ यथा— कुक सफाईकर्मी आदि महिलाएं ही होनी चाहिए।
2. 50 प्रशिक्षणार्थियों के आवास हेतु पर्याप्त डबल बेड/सिंगल बेड कमरे/डोर मेट्री हो।
3. लगभग 150 वर्गफुट आकार के न्यूनतम 8 —10 कमरे या अधिक कमरे व डोरमेट्री हो जिनमें पलंग, टेबल कुर्सी व व्यक्तिगत सामान रखने हेतु अलमारी की सुविधा हो।
4. न्यूनतम 5 शौचालय व 5 स्नानघर हों। संयुक्त शौचालय व स्नानघर होने की स्थिति में इनकी संख्या 8 से 10 तक होना आवश्यक हैं।
5. लगभग 150 वर्ग फुट आकार का रसोई घर, भण्डारण कक्ष, खाना पकाने की सुविधा व स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सहित होना आवश्यक हैं।
6. वाश बेसिन, स्वच्छ पेयजल, आहार हेतु मेज कुर्सियां, प्रकाश व्यवस्था, पंखे/कूलर युक्त रसोई घर से सटा हुआ लगभग 600 वर्ग फुट आकार का भोजन कक्ष होना आवश्यक हैं।
7. मनोरंजन कक्ष टेलीविजन, आन्तरिक खेलों (Indor Games) पूरक सामग्री युक्त होना चाहिए। संस्थान में इंटरनेट फ्री वाई—फाई सुविधायुक्त कम्प्यूटर भी होने चाहिए।
8. छात्रावास में एक पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष, जिसमें पर्याप्त संख्या में अध्ययन व संदर्भ सामग्री संगृहीत हो, होना चाहिए।
9. प्रशिक्षण केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय मानदण्डों द्वारा संचालित होंगें यथा संस्थान के कार्मिकों के वेतन, भत्ते एवं अन्य संचालन व्यय के लिए भारत सरकार के दिशा—निर्देश ही मान्य होंगे। निर्धारित मानदण्ड से ज्यादा व्यय के लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देश एवं मानदण्डों का विवरण विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
10. **स्टाफ** — केन्द्र पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 3 अनुदेशिकाएं (अनुदेशक बाल विकास, अनुदेशक पोषण एवं अनुदेशक समाजिक कार्य) व अन्य स्टाफ होना आवश्यक हैं। जिनकी न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार है

क्र.सं.	**पद का नाम**	**योग्यता**	
1.	अनुदेशिका — बाल विकास	गृह विज्ञान/मानव विकास/मनोविज्ञान/शिक्षा (ECCD)/बाल विकास में स्नातकोत्तर	
2.	अनुदेशिका — पोषण	गृह विज्ञान/आहार व पोषण में स्नातकोत्तर	
3.	अनुदेशिका — सामाजिक कार्य	विस्तार शिक्षा/सामुदायिक संसाधन प्रबंधन/सामाजिक कार्य (SOCIAL WORK) सामाज विज्ञान/मानव विकास में स्नातकोत्तर डिग्री	
4.	लेखा लीपिक	पूर्ण कालिक	वाणिज्य स्नातक
5.	चौकीदार —2	पूर्ण कालिक	
6.	महिला वार्डन	पूर्ण कालिक	न्यूनतम 12 वीं उर्त्तीण व न्यूनतम 35 वर्ष आयु

7.	टकंण कर्ता	पूर्ण कालिक	लेखा पद्धति व कम्प्यूटर का ज्ञान, स्नातक, टाइपिग स्पीड 30 श. प्र. मि. व कम्प्यूटर
8.	कुक	अंश कालिक	
9.	क्राफ्ट टीचर	अंश कालिक	न्यूनतम आयु 25 वर्ष, सार्वजनिक/सरकारी विद्यालय में कला हस्तशिल्प क्षेत्र का 2 – 3 वर्ष का अनुभव
10.	म्यूजिक टीचर	अंश कालिक	न्यूनतम आयु 25 वर्ष, सार्वजनिक/सरकारी विद्यालय में 2 – 3 वर्ष का अनुभव
11.	विजिटिंग डाक्टर	अंश कालिक	
12.	सेवादार/स. कर्मचारी	अंश कालिक	

प्रशिक्षण केन्द्र के लिए संस्थान द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं पर्याप्त अनुभव वाले अनुदेशक/अनुदेशिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं। योग्यताओं का विवरण विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। पूर्णकालिन अनुदेशक न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होनी चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान संदर्भ व्यक्ति के रूप में आवश्यकतानुरूप विशेषज्ञों को आमंत्रित करना होगा।

11. **भवन किराया –** आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र के लिये किराया भारत सरकार परिपत्र संख्या 8–1/2013–TR दिनांक 09.11.2013 के अनुसार देय हैं। जो निम्नानुसार हैं।

1.	ए श्रेणी शहरों में एक माह का किराया	18000
2.	बी 1 श्रेणी शहरों में एक माह का किराया	15000
3.	जिला स्तर के कस्बों में एक माह का किराया	10000
4.	ब्लॉक व अन्य कस्बों में एक माह का किराया	9000
5.	बिजली व्यय हेतु एक माह	3000
6.	पानी व्यय हेतु एक माह	750
7.	टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स इत्यादि प्रतिमाह	1000

12. प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन पूर्णतया अस्थायी है, इनका संचालन वार्षिक प्रशिक्षण की आवश्यकतानुरूप होगा।
13. संस्थान राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण कलैण्डर एवं नामांकन के अनुसार ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगें।
14. राज्य सरकार किसी भी समय प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन बंद कर सकती हैं। केन्द्र संचालन करने वाले संस्थान को इस संबंध में किसी विधिक कार्यवाही का कोई अधिकार नहीं होगा।
15. संस्थान का प्रशिक्षण केन्द्र संचालन हेतु चयन होने पर विभाग के साथ अनुबंध करना होगा, जो कि तीन वर्ष के लिए होगा। आगे के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता एवं कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध को आपसी सहमति से आगामी एक–एक वर्ष के लिए क्रमशः बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध समय सीमा भारत सरकार के दिशानिर्देशान्तर्गत रहेगी।

16. प्रशिक्षण केन्द्र के लिए जो भी स्टाफ उपलब्ध कराया जायेगा। वह संस्था का उत्तरदायी होगा और यदि संस्था को बंद करते समय अथवा कर्मचारी को संस्था से निकाले जाने पर संस्था या उन व्यक्ति/व्यक्तियों के प्रति राज्य सरकार/भारत सरकार का कोई भी दायित्व नहीं होगा।
17. संस्थान के पर्यवेक्षण एवं मॉनिटरिंग का दायित्व राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग का होगा। भारत सरकार/राज्य सरकार जिला स्तर के विभागीय अधिकारी किसी भी समय संस्था का निरीक्षण करने हेतु अधिकृत हैं निरीक्षण में संस्था द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता दृष्टिगोचर होने पर सरकार विभाग को आवश्यक कार्यवाही का अधिकार होगा ।
18. विज्ञप्ति को निरस्त/जारी रखने का निर्णय तथा आवेदन की शर्तो में आवश्यक संशोधन का अधिकार निदेशक, आईसीडीएस जयपुर में निहित होगा।
19. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त नियम एवं विनियम जो संस्थान के प्रशिक्षण कार्यकलाप से संबंध रखते हों, वे संस्थान पर लागू समझे जाएगें।
20. निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संस्थान का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में चयन पूर्णतयाः विभाग के विवेकाधीन होगा।